स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों
के
सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

(जून, 2010)

जारीकर्त्ता :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
हिमाचल प्रदेश

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां की संरचना :

प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी से परामर्श उपरान्त करेगें । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें :–

1	उप प्रधान	अध्यक्ष
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	सदस्य सचिव
3	ग्राम पंचायत में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता	
4	एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक	
5	एक मनोनीत महिला मण्डल प्रतिनिधि	
6	एक मनोनीत युवा मण्डल प्रतिनिधि	
7	सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग का ग्राम पंचायत में कार्यरत एक कर्मचारी	
8	सभी महिला पंच	
9	अनुसूचित जाति की एक मनोनीत महिला प्रतिनिधि	
10	अनुसूचित जनजाति का एक मनोनीत प्रतिनिधि	
11	अन्य पिछड़ा वर्ग का एक मनोनीत प्रतिनिधि	
12	गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का एक मनोनीत प्रतिनिधि	
13	स्वयंम सहायता समूह की एक मनोनीत महिला प्रतिनिधि	

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश अनिवार्य हैं :–

क) उक्त वर्णित सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में शामिल होने उपरान्त यह आवश्यक है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से कम न हो ।

ख) इस समिति में निम्न वर्गो का कम से कम एक सदस्य होना अनिवार्य है (अगर पंचायत में इन वर्गो के लोग उपलब्ध हों) :–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला वर्ग ।

ग) समिति में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है ।

घ) कार्यकाल अवधि – एक वर्ष ।

3.	अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (Orientation and Training) :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन उपरान्त सदस्यों का अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण किया जायेगा जिससे कि वे अपेक्षित कार्यों का निष्पादन कर सकें ।

4.	ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों सम्बन्धित अनुदान :-

क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तत्त्वाधान में प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को मुबलिक 10,000/-रूपये का वार्षिक अनुदान पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रदान किया जायेगा । उक्त राशि के लिये एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा ।

ख) इस धनराशि को खर्च करने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा एक वार्षिक कार्य योजना एवं एक सूक्ष्म स्वास्थ्य कार्य योजना बनाई जायेगी जिसको कि ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

ग) किसी प्रकार के आपातकालीन व्यय के लिए जो समिति के वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है, ग्राम पंचायत से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा । बाद में उपरोक्त व्यय को ग्राम सभा से पारित करवाना जरूरी है ।

घ) बैंक खाते को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चलाया जायेगा ।

ड) यदि किसी ग्राम पंचायत में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता नियुक्त नहीं है तो खण्ड चिकित्सा अधिकारी इस स्वास्थ्य उप-केन्द्र के पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या साथ लगती पंचायत में कार्यरत स्वास्थ्य उप केन्द्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को सयुंक्त हस्ताक्षर के लिए मनोनीत करने के लिए अधिकृत होगें ।

ध) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अनुदान राशि के प्राप्ति एवं भुगतान के रिकार्ड का लेखा–जोखा रजिस्टर में दर्ज करे ।

च) आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुदान रजिस्टर का समय–समय पर स्वास्थ्य/पंचायती राज /ग्रामीण विकास / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ।

छ) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति अनुदान से सम्बन्धित सभी दस्तावेज एवं अन्य लेखा–जोखा को कम से कम तीन वर्ष या इसकी लेखा परीक्षा होने तक, जो भी बाद में हो, तक संभाल कर रखेगी ।

5. उक्त धनराशि का उपयोग विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जा सकता है :–

1) उक्त धनराशि का उपयोग गांव स्तर की जन–स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों के लिये किया जा सकता है जैसे कि – सफाई एवं रखरखाव कार्य, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां, शिशु स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियां, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं सम्बन्धित जागरूकता गतिविधियां, परिवार नियोजन गतिविधि, बालिका संरक्षण गतिविधियां तथा एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी बीमारी के बारे में जागरूकता की गतिविधियां ।

2) इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का उपयोग परित्यक्ता महिला/छोड़ी गई महिला अथवा किसी भी गरीब महिला की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है ।

3) इस अनुदान के माध्यम से ग्राम स्तर पर सामूहिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं जैसे कि पोषाहार जागरूकता एवं सफाई व्यवस्था, वातावरण की सुरक्षा, जनसाधारण के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम ।

4) ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस के आयोजन के लिए ।

5) राज्य सरकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं /प्रतिबद्वता जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आम जनता में जागरूकता लाने हेतु ।

6) ग्राम पंचायत में हाने वाली महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य घटनायें जैसे जन्म एवं मृत्यु (मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु) की रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण के लिए ।

7) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की बैठकों का समय-समय पर आयोजन करने हेतु ।

8) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के रिकार्ड बनाने एवं रखरखाव हेतु ।

9) प्रत्येक गांव, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अपने स्तर पर अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए स्वतन्त्र है । उन गांवों में जहां पर समुदाय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां में सरकारी अनुदान के अतिरिक्त धनराशि का योगदान कर रही है वहां पर भविष्य में सरकारी अनुदान एवं वित्तीय सहायता बढ़ाई जा सकती है । इस अनुदान का मुख्य लक्ष्य जनस्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करना है ।

6. उत्तरदायित्व :

1. प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह यह निर्धारित करे कि घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण समय पर हो तथा इन सभी कार्यो की एक प्रतिलिपि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता के पास अवश्य मौजूद हो ।

2. जिला स्वास्थ्य मिशन का यह मुख्य कार्य है कि वह ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं खण्ड अधिकारियों को समिति से सम्बन्धित सभी कार्या की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करे ।

3. जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (District Programme Management Unit) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के आंकड़ों से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित कर उनकी देखभाल करेगी ।

7. अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :–

मिशन निदेशक,
कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय,
ब्लॉक न. 7, स्वास्थ्य सदन, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स,
शिमला – 171 009, हिमाचल प्रदेश ।
ई.मेल : md-hp-nrhm@nic.in
फैक्स : 0177 – 2626476
दूरभाष : 0177 – 2624505

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
हिमाचल प्रदेश